

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)**

पीठासीन अधिकारी :- महेश चन्द्र मान (R.A.S.)

दावा संख्या  
251/2017

रजू दिनांक  
06.10.2017  
उपनाम

निर्णय दिनांक  
27.02.2018

1 राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चौबारा तह0 नीमराना जिला अलवर राज0

--: वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर

--: असल प्रतिवादीगण

2 रामपाल पुत्र पुत्र श्री कन्हैयालाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चौबारा तह0 नीमराना जिला अलवर राज0

--: तरतीबी प्रतिवादी

दावा:- इस्तरारहक व हु0ई0 दवामी

रजू दिनांक

निर्णय दिनांक

--: पर्चा डिक्री :-


27.02.2018

दिनांक :- 27.02.2018

वादीगण की ओर से एडवोकेट सतीश यादव द्वारा प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट बस्तीराम यादव की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27.02.2018 को महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

आराजी ख0न0 154/0.61, 197/0.47, 198/0.46, 199/0.49, 200/0.49, वाके ग्राम मिर्जापुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के हाल राजस्व रिकार्ड में अंकित श्यामलाल पुत्र कन्हैयालाल के बजाय राधेश्याम पुत्र कन्हैयालाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वासी चौबारा तह0 नीमराना जिला खर्चा पक्षकारानु अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 27.02.2018 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद इस्ताफर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
27.02.18  
(महेश चन्द्र मान)  
उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

वादीगण की ओर से एडवोकेट सतीश यादव द्वारा प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट बस्तीराम यादव की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27.02.2018 को महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

आराजी ख0न0 154/0.61, 197/0.47, 198/0.46, 199/0.49, 200/0.49, वाके ग्राम मिर्जापुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के हाल राजस्व रिकार्ड में अंकित श्यामलाल पुत्र कन्हैयालाल के बजाय राधेश्याम पुत्र कन्हैयालाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वासी चौबारा तह0 नीमराना जिला खर्चा पक्षकारानु अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 27.02.2018 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद इस्ताफर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।